अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 7/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 672(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, माल की आवक पूर्ति पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा यूनिट रन केंटीन को माल की पूर्ति ।
2.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति ।
3.	कोई अध्याय	यूनिट रन केंटीन द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति ।

स्पष्टीकरण—

(1) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 7/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 672(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, the inward supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), from the whole of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the Integrated Good and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the Unit Run Canteens
2.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the authorized customers
3.	Any chapter	The supply of goods by the Unit Run Canteens to the authorized customers

Explanation. –

(1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 673(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुसूचियां कहा गया है) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत केंद्रीय कर की दर अधिसूचित करती है, जो ऐसे माल की राज्य के भीतर पूर्ति पर उद्‌गृहीत किया जाएगा, जिसका वर्णन उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्ट में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आने वाले उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट हैं -

(i) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 2.5 प्रतिशत ;

(ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 6 प्रतिशत ;

(iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 9 प्रतिशत ;

(iv) अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 14 प्रतिशत ;

(v) अनुसूची V में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 1.5 प्रतिशत ; और

(vi) अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 0.125 प्रतिशत ।